



स्पीड पोस्ट / Speed Post

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं: भा.वि.प्रा./नि. मु./ई.जी.(सि.)/पू.क्षे./कोल/कंसल्टेंसी-यातायात अध्ययन/2022-23

No: AAI/CHQ/Engg-C/ER/Kol/Consultancy-Traffic Study/2022-23

दिनांक: 24.02.2023

Date: 24.02.2023

सेवा में,

To,

मेसर्स - दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड,
'8वीं मंजिल, ब्लॉक - 1, दिल्ली टेक्नोलॉजी पार्क, शास्त्री पार्क,
नई दिल्ली - 110053.

M/s Delhi Integrated Multi-Modal Transit System Ltd.,
'8th Floor, Block - 1, Delhi Technology Park, Shastri Park,
New Delhi - 110053, Email: ashish.srivastava@dimts.in

Sub: Consultancy services for comprehensive vehicular traffic study and traffic network planning of city side road network & parking area and assessment on expansion requirements of infrastructure at NSCBI Airport, Kolkata.

संदर्भ: विषयांगत कार्य हेतु फाइनैन्सियल बिड दिनांक 03.02.2023 को खोली गई।

Ref: Financial bid for the subject work opened on 03.02.2023.

(Tender ID: 2022_AAI_138287_1)

महोदय,

Dear Sir,

1. उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्य हेतु आपकी ई-निविदा को रु. 37,88,000/- (मात्र सैंतीस लाख अठासी हजार रुपये) आपके द्वारा उद्धृत शुल्क (जी.एस.टी. को छोड़कर) पर अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से एतद्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक चरण में देय शुल्क निविदा दस्तावेज में निर्धारित पृष्ठ 11 के खण्ड 3.1 के अनुसार होगा।

Your e-tender for the subject work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at your quoted fee of Rs. 37,88,000/- (Rs. Thirty Seven Lakh Eighty Eight Thousand only), excluding GST. The fee payable at each stage shall be as stipulated in Clause 3.1 of page 11 of Tender Document.

2. संयुक्त महाप्रबंधक, (अभि.-सिविल)-पू.क्षे., नि. मु., भा.वि.प्रा. पुरानी आर.डी. बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 इस कार्य के इंजीनियरिंग प्रभारी होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर संयुक्त महाप्रबंधक, (अभि.-सिविल)-पू.क्षे., नि. मु., भा.वि.प्रा. पुरानी आर.डी. बिल्डिंग, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में संविदा करार पर हस्ताक्षर करने व उसे पूरा करने हेतु उपस्थित हो। संविदा करार 100/- रुपये (मात्र सौ रुपये) मूल्य के नॉन-ज्यूडीशियल स्टांप कागज पर निष्पादित किया जाएगा तथा स्टांप कागज की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।

Jt.GM (Engg.-Civil)- ER, CHQ, AAI, Old R.D. Building, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003 shall be the Engineer-in-charge of the work. You are requested to attend the office of Jt. GM (Engg.-Civil)-ER, CHQ, AAI, Old R.D. Building, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 within 15 days from the date of issue of this letter to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on a non-judicial stamp paper of value Rs. 100/- (Rupees one hundred only) and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

3. निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 12 पर खंड 3.8 में निर्धारित अनुबंध मूल्य के 10% पर सुरक्षा जमा राशी की कटौती की जाएगी।

The Security Deposit at 10% of contract value shall be deducted as stipulated in clause 3.8 at page 12 of Tender document.

4. एतद्वारा आपसे अनुरोध है कि निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 16 पर खंड 3.19 में निर्धारित समर्थन और समन्वय के उद्देश्य के लिए कार्यालय महा-प्रबंधक (अभि.— सिविल), भा.वि.प्रा., एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता से संपर्क करें।

You are hereby requested to contact O/o GM (Engg.-Civil), AAI, NSCBI Airport, Kolkata for support and coordination purpose as stipulated in Clause 3.19 at page 16 of Tender Document.

5. कार्य निष्पादन के लिए प्रदत्त समय की गणना इस पत्र के जारी करने के 10वें दिन से प्रारम्भ की जाएगी। ध्यान रहे कि कार्य के प्रत्येक स्तर हेतु निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 11 पर शर्त 3.1 के अनुसार समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।

The time allowed for carrying out the work shall be reckoned from the 10th day from the date of issue of this letter. It is emphasized that the time schedule mentioned for each stage of work as per Clause 3.1 on page 11 of tender document has to be strictly adhered to.

6. आपसे अनुरोध है कि संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971 बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 और ईएसआई अधिनियम 1948, समय-समय पर संशोधित केंद्र और राज्य सरकारों के तदसंबंधी नियमों का अनुपालन करें।

You are requested to comply with the provision of contract labour (Regulation & abolition) Act 1970 and contract labour (Regulation & Abolition) Central Rules 1971 Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act 1996, Building and other construction Workers Welfare Cess Act 1996, Minimum Wages Act 1948, Employees Provident Fund and Misc. Provisions Act 1952 and ESI Act 1948, amended from time to time and rules thereof Central and State Government.

7. यह अवार्ड लेटर और ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान उठाए गए सभी प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि इसके उत्तर सहित और जारी किए गए सभी शुद्धिपत्र भी इस परामर्श अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगे।

This award letter and all queries, clarifications etc, raised during e-tendering process & replies thereof including all corrigendums issued shall also form part of this Consultancy Contract agreement.

8. इस परामर्श अनुबंध के संबंध में कोई भी पत्राचार सामान्य रूप से प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any further correspondence in connection with this Consultancy contract should normally be addressed to the Engineer-in-charge.

9. कृप्या पावती भेजें तथा इसके साथ संलग्न इस पत्र की दूसरी प्रति पर विधिवत हस्ताक्षर करने के उपरांत प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप इसे अधोहस्ताक्षरी को वापस भेजें।

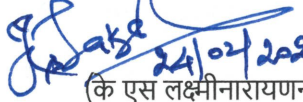
Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after duly signing it to the undersigned as a token of acceptance.

10. हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में कहीं भी अंतर या अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

In case of difference or ambiguity in Hindi and English version anywhere, the English version will prevail.

भवदीय

Yours faithfully,


24/02/2023.
(के एस लक्ष्मीनारायणन)

(K. S. Lakshminaryanan)

संयुक्त महाप्रबंधक, (अभि.-सिविल)-पू.क्षे., नि. मु

Jt. General Manager (Engg.-Civil)-ER, CHQ
अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए व उनकी तरफ से

For and on behalf of the Chairman,

Airports Authority of India